डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत –– उपखण्ड अधिकारी मुकाम – सागवाडा

बईजलास – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

1–श्री मंगला पिता स्व0 सवजी डामोर बनाम श्री कान्ति पिता देवा डामोर
वगैरा निवासी कन्तरी वगैरा निवासी कन्तरी

दावा बाबत घोषणा ,स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती किए जाने अन्तर्गत धारा 88,188,209राटिएक्ट व धारा 125सपठित धारा 136 लेरेएक्ट

मुकद्मा नम्बर – 33/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुद्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मोजा कन्तरी में वादी संख्या 4 से 7 को खातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 4 से 7 का नाम जोडा जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि कलम संख्या 2 में अंकित समस्त आराजीयात को खूर्द बूर्द ना करें किसी प्रकार का आगे कोई दस्तावेज तहरीर एवं तकमी ल नही करें एवं न ही वादीगण के उक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात पर दखल अन्दाजी करें एवं न ही अतिकमण करें ।**

नीज .....मुबलिग.....बाबत .....

खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर .....फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक ..... का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 2 मास 2 सन् 2021को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प व्कालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 33/2020(राजस्व वाद)

तारीख दायर – 19.8.2020

तारीख फैसल –02-02-2021

अनवान

1– श्री मंगला पिता स्व0सवजी डामोर निवासी कन्तरी
2– श्री गटू पिता स्व0 सवजी डामोर निवासी कन्तरी
3– श्री हरजी पिता स्व0 सवजी डामोर निवासी कन्तरी
4– श्रीमती गंगा पिता स्व.श्री सवजी डामोर पत्नी वीरजी कलासुआ नि0पातरवा
5–श्रीमतीबदी पिता स्व0श्री सवजी डामोर पत्नी धना रोत निवासी छाणी
6– श्रीमती हुरज पिता स्व0श्री सवजी डामोर पत्नी मोहनलालल रोत निवासी लोडेश्वर
7– श्रीमती सोमी पिता स्व0श्री सवजी डामोर पत्नी भारतु रोत निवासी छाणी

(वादीगण)

बनाम

1– श्री कान्ति पिता देवा डामोर निवासी कन्तरी
2– श्रीमती तुलसी पत्नी देवा डामोर निवासी कन्तरी
3–श्रीमती सुरज पिता देवा डामोर निवासी कन्तरी
9– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सवागवाडा जि0 डूँगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्रीं चन्द्रशेखर शुक्ला

वकील प्रतिवादीगण– –

वाद बाबत घोषणा ,स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज0टि0एक्ट व धारा 125 सपठित धारा 136लेण्ड रेवे0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनाम के अनुसार वादीगण आपस में सगे भाई बहन होकर एक ही माता पिता की सन्ताने है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित खाता नम्बर 9 की कुल आराजीयात 15 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पिता स्व. श्री सवजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन

मौजा कन्तरी पटवार हल्का माण्डव में स्थित है । उक्त आराजीयात वादीगण के पिता श्री सवजी के अकेले की थी जिसका खाते की पास बुक में भी अकेले उनका नाम इन्द्राज है तथा जमाबन्दी संवत 2058–61 के खाता नम्बर 10 में भी प्रविष्ठि वादीगण के पिता सवजी के नाम ही है । यह कि श्री सवजी की मृत्यु के उपरान्त राजस्व कर्मियों की गलती से वादीगण संख्या 4 से 7 का नाम खाते में नही जोडा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम इस वस्तुस्थिति की अनदेखी करते हुए कि वास्तव में स्व0 सवजी के उत्तराधिकारी नही है ,तीनो प्रतिवादीगणके नाम नामान्तरकण कर खातेदार बना दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजीयात में न तो कोई कब्जा है न ही हक है एवं न ही कोई स्वामित्व है केवल खाते में नाम इन्द्राज हो चुका है ।

वादी ने वाद के अन्त में वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मौजा कन्तरी में वादी संख्या 4 से 7 का नाम जोडा जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की कलम संख्या 2 में अंकित समस्त आराजीयात को खूर्द बूर्द ना करें किसी प्रकार का आगे कोई दस्तावेज तहरीर एवं तकमील नही करे एवं न ही वादीगण के उक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात पर दखल अन्दाजी करें एवं न ही अतिक्रमण करे ,वादपत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर तन्हा रूप से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार इन्द्राज दुरस्त किया जाने निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज भूप्रबन्ध सेटलमेण्ट विभाग की जमाबन्दी सं0वत 2022 ,पास बुक की नकल ,जमाबन्दी सिंवत 2058–61,2062–65,2066–69,2074–77 एवं नामान्तरकरण 21.5.2007 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण दिनांक 26.10.2020 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में हरजी पिता स्व0स9वजी डामोर ,बदी पिता स्व0 सवजी डामोर ,गटू पिता सवजी डामोर ,मंगला पिता सवजी डामोर के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य समाप्त किए जाने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श–1भूप्रबन्ध जमाबन्दी संवत 2022 जिसमें खातेदार के स्थान पर अकेले सवजी का नाम अंकित है ,प्रदर्श–2 जो कि पास बुक की नकल है जिसमें सवजी अकेले का नाम अंकित है ,जमाबन्दी प्रदर्श–3,जमाबन्दी प्रदर्श–4जिसमें खातेदार के स्थान पर सवजी अकेले का नाम दर्ज है की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम सवजी के फौत होने के बाद राजस्व कर्मचारियों की गलती से जोड दिया गया है जिसे हटाया जावे । प्रदर्श – 5 एवं प्रदर्श–6 जो कि जमाबन्दी संवत 2066–69 एंव 2074–77 की नकल है में वादी संख्या 1 से 3 के नाम के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम भी दर्ज है ।इसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का इस खाते की भूमि पर न तो कब्जा है न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक व स्वामित्व है । केवल खाते में गलती से नाम जोड दिया गया है जिसे हटाया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मौजा कन्तरी में वादी संख्या 4 से 7 का नाम जोडा जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की कलम संख्या 2 में अंकित समस्त आराजीयात को खूर्द बूर्द ना करें किसी प्रकार का आगे कोई दस्तावेज तहरीर एवं तकमील नही करे एवं न ही वादीगण के उक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात पर दखल अन्दाजी करें एवं न ही अतिक्रमण करे ,वादपत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर तन्हा रूप से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार इन्द्राज दुरस्त किया जाने निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा के अनुसार वादीगण सवजी के वारीसान है ,पेढीनामा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम नही है । सवजी के खाते की भूमि में सभी वारिसान का नाम अंकित होना चाहिए इसके स्थान पर केवल वादी संख्या 1 से 3 का नाम ही दर्ज है एवं वादी संख्या 4 से 7 का नाम दर्ज नही है। प्रस्तुत जमाबन्दी सेटलमेण्ट संवत 2022 से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजीयात अकेले सवजी के खाते की थी । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त जमीन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होने बाबत न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम वादग्रस्त जमीन में

गलती से जोडा गया है जिसे वादीगण इन्द्राज दुरस्त करा हटाये जाने एंव खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मौजा कन्तरी में वादी संख्या 4 से 7 को खा़तेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 4 से 7 का नाम जोडा जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाने आदेश दिया जाता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि कलम संख्या 2 में अंकित समस्त आराजीयात को खूर्द बूर्द ना करें किसी प्रकार का आगे कोई दस्तावेज तहरीर एवं तकमील नही करे एवं न ही वादीगण के उक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात पर दखल अन्दाजी करें एवं न ही अतिक्रमण करे

डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 02-02-2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा